2. The land brought under cultivation for foodgrains and sugarcane during the year 1992-93 has been estimated as under :

(Thousand hectares)

Crop	1992-93
Rice	41636.8
Wheat	24430.6
Other Cereals & Millets	34772.9
Total Cereals & Millets	100840.3
Pulses	23742.6
Total Foodgrains	124582.9
Sugarcane	3617.5

Schemes for Export of Agricultural Products

1592. SHRI V. NARAYANANSAMY :
SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Agriculture Ministry is implementing special schemes for the export of agricultural products abroad; and

(b) if so, what are the salient features of the scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) and (b) Developmental schemes of the Ministry of Agriculture focus on increasing the agricultural production which *inter-alia* increases he domestic availability and generates larger surplus for export. To facilitiate the export of agricultural products, the Ministry has taken initiatives to improve infrastructural gacilicties, development of marketing infrastructure and establishment of market information service.

Subsidy on Foodgrains to Adivasis

@1593. SHRI SATISH PRADHAN : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether Government propose to withdraw subsidy on all the foodgrains supplied through Public Distribution System;

(b) whether the subsidy will also be withdrawn for foodgrains supplied to Adivasi areas; and

(c) whether the State Government will be authorised to supply foodgrains to Adivas areas on subsidy ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) and (b) There is no proposal to withdraw food subsidy either on the foodgrains supplied through Public Distribution System or to Adivasi areas.

(c) Does not arise.

राशन की दुकानों के मालिकों द्वारा कमीशन की मांग

@1594. **श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राशन की दुकानों के मालिकों ने चीनी-वितरण के लिए उन्हें

@Previously unstarred Q. No. 648, transferred from 28-2-94.

@पूर्वत : अतारांकित प्रश्न 640, 28 फरवरी, 1994 से स्थानान्तरित

दिए जाने वाले कमीशन को बढ़ाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली में हाल ही में 1-4-1993 से लेवी चीनी का वितरण करने के लिए मार्जिन में संशोधन कर दिया गया है और यह मार्जिन 2.60 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है लेकिन इसमें ढुलाई प्रभार शामिल नहीं है । इससे पूर्व यह मार्जिन ढुलाई प्रभारों सहित पहली जनवरी, 1987 से 4.80 रुपये प्रति क्विंटल था ।

खाद्यान्नों पर राजसहायता में वृद्धि

@1595. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राजसहायता की राशि में भारी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 में राजसहायता की राशि में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने इस राशि में वृद्धि होने के कारणों का भी पता लगाया है;

(घ) क्या वित्तीय वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 में खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था, अधिक पूंजी निवेश पर ब्याज, खाद्यान्न खरीद व्यवस्था पर किया जाने वाला व्यय, वर्षभर में विभिन्न कारणों से नष्ट होने वाले खाद्यान्न की मात्रा से अधिक हानि और खाद्यान्न लाने ले जाने सम्बन्धी व्यय अधिक हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इन वर्षों में अलग-अलग उपरोक्त मदों में व्यय की गई राशि का आकलन क्या है; और

(च) खुले बाजार में गेहूं बेचने से होने वाले लाभ की अनुमानित राशि क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1993-94 में खाद्यान्नों के लिए राजसहायता की राशि अतीत के वर्षों की तुलना में काफी अधिक है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1992-93 में 2785 करोड़ रुपये की खाद्य राजसहायता मुहैया की गई थी । वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसका 5200 करोड़ रुपये होने का अन्दाजा है ।

(ग) खाद्य राजसहायता में मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से वृद्धि हुई है :—

(1) खाद्यान्नों के वसूली मूल्यों में वृद्धि होना;

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों में विलम्ब से वृद्धि करना और इस वृद्धि को आंशिक रूप से उपभोक्ताओं पर डाल देना;

(3) ब्याज प्रभारों में वृद्धि हो जाना;

(4) भाड़े की लागत में वृद्धि होना;

(5) पिछले वर्षों के लिए राजसहायता की बकाया राशि होना।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1992-93 और 1993-94 के दौरान विभिन्न

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 650,28 फरवरी, 1994 से स्थानान्तरित